

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म0प्र0)

॥ नीलामी विज्ञप्ति ॥

क्रमांक- 909 तीन/-03-01/2014

सागर, दिनांक 18.02.2026

सर्व साधारण को इस नीलामी विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय परिसर में रखी अनुपयोगी सामग्री जैसे लोहे, लकड़ी एवं प्लास्टिक की टूटी-फूटी सामग्री की नीलामी दिनांक 17.03.2026 को प्रातः 11:00 बजे से खुली निविदा के माध्यम से की जाना है।

सामग्री किस हालत में है या उसके संबंध में अन्य कोई विस्तृत जानकारी लेना हो तो अवकाश दिवसों को छोड़कर कार्यालयीन समय में श्री जागेश्वर देवलिया, जिला नाजिर सागर से उनके मोबाईल नंबर 8319086077 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संलग्न सूची अनुसार सामग्री नीलामी पर जो भी व्यक्ति नीलामी की शर्तों पर क्रय करने के इच्छुक हों, वह कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा दिनांक 17.03.2026 को नीलामी में भाग ले सकते हैं।

इस संबंध में विवरण एवं सामग्री के छायाचित्र जिला न्यायालय सागर की वेबसाइट <http://sagar.dcourts.gov.in> पर देख सकते हैं।

नीलामी की शर्तें

(नीलामी दिनांक 17.03.2026 को समय दोपहर 11:00 बजे से 02 बजे तक)

- 1- उक्त सामग्री की ऑफसेट वेल्यू रुपये 6,369/- (शब्दों में-छह हजार तीन सौ उनहत्तर रुपये मात्र) शासकीय बोली निर्धारित है।
- 2- उपरोक्त सामग्री की नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने हेतु प्रत्येक बोलीदार को अमानत राशि के रूप में 500/- रुपये नजारत अनुभाग सागर में जमा कर रसीद प्राप्त करना होगी। उक्त राशि जमा करने के उपरांत ही वह नीलामी में भाग ले सकेंगे तथा अमानत राशि जमा करने के उपरांत नीलामी में भाग न लेने पर उक्त जमा राशि वापसी योग्य नहीं होगी।
- 3- किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार करने, आंशिक रूप से व पूर्ण रूप से निरस्त करने तथा प्राप्त एवं कम/अधिकतम बोली की राशि की स्वीकृति/अस्वीकृति का संपूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी का होगा।
- 4- संबंधित अनुपयोगी सामग्री न्यायालय परिसर में उपलब्ध है इस हेतु स्थापना पर पदस्थ श्री जागेश्वर देवलिया जिला नाजिर नजारत अनुभाग सागर से उनके मोबाईल नंबर 8319086077 पर संपर्क करें।
- 5- बोलीकर्ता द्वारा नीलामी में उपस्थित होकर अनुपयोगी सामग्री को क्रय करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में नीलामी संबंधी संपूर्ण शर्तें स्वीकार कर ली गई हैं, ऐसा माना जावेगा।
- 6- नीलामी स्वीकार करने पर क्रेता को बोली दिनांक को ही संपूर्ण राशि हेड-0070-01-800-9691 में ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा कराते हुये सामग्री को अपने अधिपत्य में लेना होगा अन्यथा अग्रिम अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा राशि राजसात की जावेगी।
- 7- बोलीकर्ता अभ्यर्थी को अधिकृत पहचान पत्र जैसे आधार कोर्ड, वोटर आईडी कार्ड अपने साथ में लाना अनिवार्य होगा। अधिकतम बोली की राशि सक्षम अधिकारी द्वारा मान्य किये जाने पर ही अंतिम होगी।
- 8- सूची में दर्शित संपूर्ण सामग्री बोलीकर्ता को एक साथ ही नीलाम की जावेगी। फुटकर बोली स्वीकार योग्य नहीं होगी।
- 9- अनुपयोगी सामग्री विक्रय के पश्चात् कार्यालय द्वारा आवश्यक विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने पर क्रेता (बोलीकर्ता को) उक्त सामग्री को स्वयं के व्यय यथा स्थिति में न्यायालय से अपने अधिपत्य में लेकर जाना होगा।
- 10- किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर के पास सुरक्षित रहेगा एवं न्याय क्षेत्र सिविल न्यायालय सागर होगा।

संलग्न :-सामग्री की सूची।

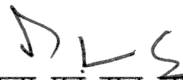
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)

पृ०क्र०-⁹¹⁰तीन/-03-01/2014
प्रतिलिपि :-

सागर, दिनांक 18.02.2026

- (1) कलेक्टर कार्यालय, सागर नोटिस बोर्ड,
- (2) पुलिस अधीक्षक, सागर नोटिस बोर्ड,
- (3) लोक निर्माण विभाग, सागर नोटिस बोर्ड,
- (4) नगर पालिका कार्यालय, सागर नोटिस बोर्ड,
- (5) जिला चिकित्सालय, सागर नोटिस बोर्ड,
- (6) जिला न्यायालय, सागर नोटिस बोर्ड,
- (7) जनपद कार्यालय, सागर नोटिस बोर्ड,
- (8) बस स्टैण्ड, सागर के सहज दृश्य स्थान,
- ✓(9) जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, सर्वर रूम सागर की ओर जिला न्यायालय सागर की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- (10) जनसंपर्क अधिकारी, सागर की ओर प्रचलित समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ हेतु।

जिला नाजिर सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कार्यालयों के नोटिस बोर्ड/सहज दृश्य स्थान पर सामग्री की नीलामी से संबंधित विज्ञप्ति अविलंब चस्पा करवायें।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म०प्र०)

निकेत नहीं।
निकेत नहीं।
1A-12

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग उपसंभाग सागर

क्रमांक 1020

सागर, दिनांक 17/6/25

प्रति,

माननीय विशेष न्यायाधीश
(एट्रोसिटी एक्ट) सागर
एवं अध्यक्ष निर्जीव सामग्री/अपलेखन समिति

विषय:- न्यायालयों एवं अनुभागों में विद्यमान अनुपयोगी फर्नीचर का मूल्यांकन किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- माननीय विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी एक्ट) सागर एवं अध्यक्ष निर्जीव सामग्री/अपलेखन समिति का पत्र क्र. 3459 सागर दिनांक 13/06/25

न्यायालयों एवं अनुभागों में विद्यमान अनुपयोगी फर्नीचर का मूल्यांकन निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	संख्या	वजन/दर	कीमत
1	लकड़ी की टूटी बेंच	1 नग	6 किलो दर 10/-	60.00
2	लोहे की पेटी (चददर)	3 नग	16 किलो 20/-	320.00
3	लोहे का झूमर	1 नग	3 किलो 30/-	90.00
4	रिवाल्विंग चेयर कुर्सी	1 नग	- 200/-	200.00
5	लोहे की कुर्सी के फ्रेम	5 नग	- 100/-	500.00
6	लोहे का तसला	1 नग	1 किलो	30.00
7	प्लास्टिक तसला	1 नग	1 किलो	10.00
8	फ्रिज स्टैंड	1 नग	5 किलो	150.00
9	लकड़ी की टूटी ड्राज	1 नग	3 किलो 10/-	20.00
10	चददर का फ्रेम	1 नग	3 किलो 20/-	60.00
11	लकड़ी का नोटिस बोर्ड	1 नग	10 किलो 10/-	100.00
12	मच्छर जाली	1 नग	200 ग्रा 20/-	4.00

13	लोहे की अलवारी	1 नग	18 किलो 30/-	540.00
14	टूटी प्लास्टिक कुर्सी	4 नग	8 किलो 20/-	160.00
15	लकड़ी की टेबिल टूटी	2 नग	20 किलो 10/-	200.00
16	पाईप वाली कुर्सी	5 नग	100/-	500.00
17	लकड़ी की कुर्सी	4 नग	100/-	400.00
18	दान पेटी	1 नग	किलो 30/-	30.00
19	गद्दे वाली टूटी कुर्सी नीले व लाल रंग की	13 नग	150/-	1950.00



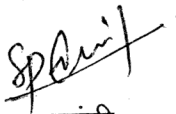
स्नातक उपयंत्री
लोक निर्माण विभाग
उपसंभाग सागर



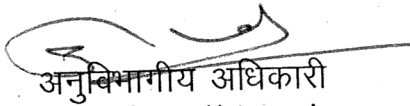
अनुविभागीय अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
उपसंभाग सागर

इलेक्ट्रिक सामग्री की मूल्यांकन रिपोर्ट

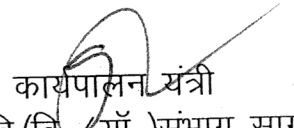
क्र.	इलेक्ट्रिक सामग्री का नाम	संख्या	मूल्यांकन राशि रु.
1	लोहे का कूलर	02 नग	200/- प्रति नग
2	दीवार घड़ी	01 नग	05/- प्रति नग
3	लेम्प टूटे	20 नग	20/- प्रति नग
4	खराब ट्यूब लाईट	20 नग	05/- प्रति नग
5	प्लास्टिक कूलर	01 नग	250/- प्रति नग



उपयंत्री
लो.नि.वि.(वि./याँ) उपसंभाग
सागर



अनुभागीय अधिकारी
लो.नि.वि.(वि./याँ) उपसंभाग
सागर



कार्यपालन संत्री
लो.नि.वि.(वि./याँ) संभाग सागर



